तारीख हुक्म	2013/00006 हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेस्टो.प्रार्थना पत्र(राजस्व विविध) मु.स. 02/2013 बजरंगसिंह बनाम सरपंच ग्राम पंचायत तोलियासर आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
14.05.2018	उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस है कि हस्तगत प्रकरण में तारीख पेशी 20.11.12 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित करते हुवे मूल रिकार्ड तलब फरमाया गया था। इसी उद्देश्य से आगामी तारीख पेशिया मुकर्रर की गई थी। दिनांक 27.12.2012 को निगरानीकर्ता की अनुपस्थिति के आधार पर बिना किसी विधि संगत न्यायपूर्ण कारण के निगरानी संख्या 15/2012 बजरंगसिंह उर्फ बजरंगलाल बनाम सरपंच ग्राम पंचायत तोलियासर व अन्य अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। पारित आदेश असंगत एवं विधि विरूद्ध तथा मिस्टेक एपेरेन्ट ओन दी फेस ऑफ रिकार्ड से ग्रस्त होने के कारण निरस्तनीय है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पर बावजूद तामील इकतरफा कार्यवाही दिनांक 20.12.2012 को अमल में लाई जा चुकी थी। ऐसी सुरत में माननीय न्यायालय को आदेश 8 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रोसीड कर निगरानी का परीक्षण कर समुचित आदेश प्रदान करना चाहिए था। जिसमें माननीय न्यायालय से एपेरेन्टली ऑन दी फेस ऑफ रिकार्ड त्रुटी हुई है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पूरे न्याय शुल्क के धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी रेस्टोर फरमाई जावें। विद्वान वकील प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में 2005(1) सीसीसी 516, 2005(2) सीसीसी 94, एआईआर 2001 एससी 286 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामील उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2012 गलत, असंगत एवं विधि विरूद्ध नहीं है। ना ही विचाराधीन आदेश मिस्टेक एपेरेन्ट ओन दी फेस ऑफ रिकार्ड से ग्रस्त है। आदेश पारित करने में न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है। जहां आदेश न्याय व	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विधि की नजर में उचित हो वहां लिबरल रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए। ऐसी सूरत में माननीय न्यायालय को आदेश 8 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रोसीड कर निगरानी का परीक्षण कर समुचित आदेश देने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। माननीय न्यायालय से एपेरेन्टली ऑन दी फेस ऑफ रिकार्ड किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई है। अतः प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष को सुना व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत की गई न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र से संबंधित निगरानी मूल रिकार्ड तलबी हेतु जैरकार थी। हस्तगत प्रकरण में मातहत अदालत के तलबीदा चलते अभिभाषक की उपस्थिति/अनुपस्थिति गौण है। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना में न्याय हित में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुवे मूल निगरानी संख्या 15/2012 बजरंगसिंह उर्फ बजरंगलाल बनाम सरपंच ग्राम पंचायत तोलियासर व अन्य रेस्टोर की जाती है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद जाप्ता दाखिल दफ्त्तर हो।

आदेश आज 14.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner